विविध प्रकरण सं. 44/2010

| तारीख हुक्म | हरियाराम ब मै. सन्तोषी स्टोन क्रेशर क. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- | --- |
| 19.2.19 | प्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया, जिससे यह पाया गया है कि मैसर्स सन्तोषी स्टोन क्रेशन कम्पनी दरूड़ा द्वारा मौजा दरूड़ा के खसरा नम्बर 299 किस्म गैर मुमकीन पहाड़ की भूमि मे से 5-00 बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र इस कार्यालय मे प्रस्तुत किया गया। इस पर कार्यालय द्वारा जाच एवं नियमानुसार शुल्क राशि लेकर अधिनस्थ राजस्व अधिकारीगण की अभिशंषा पर आदेश क्रमांकः प.(3)(118)राज/07/4136 दिनांक 26.07.2007 के द्वारा निर्धारित आवंटन शर्तो के साथ उक्त भूमि स्टोन क्रेशन स्थापित करने हेतु आवंटित कर दी गई। इसके पश्चात उक्त फर्म मे अन्य भागीदार जोड़े जाने पर दिनांक 22.11.2007 के द्वारा पुनः आवंटन आदेश जारी किया गया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी श्री हरियाराम पुत्र श्री घुस्साराम जाति राईका निवासी गांव मारूड़ी तहसील व जिला बाड़मेर द्वारा एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर मुख्यालय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील अधिकारी द्वारा उनके सम्मुख प्रस्तुत अपील पर सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 27.09.2010 पारित कर इस कार्यालय के आवंटन आदेश दिनांक 26.07.2007 एवं 22.11.2007 अपास्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ इस कार्यालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि "विवादग्रस्त भूमि जो क्रेशर स्थापित करने हेतु आवंटित की गई है उक्त विवादग्रस्त भूमि पेरीफेरल बेल्ट व अरबनाईजेबल लिमिट मे होने सम्बन्धी रिपोर्ट मंगवाई जावें। तत्पश्चात दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए यदि विवादग्रस्त भूमि जिस स्थान पर क्रेशर स्थापित किया गया है राज्य सरकार द्वारा पेरीफेरल बेल्ट व अरबनाईजेबल लिमिट घोषित भूमि न हो तो पहले उस भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करने सम्बन्धी आदेश पारित कर तत्पश्चात वादग्रस्त भूमि सम्बन्धी अग्रिम विधिक आदेश 60 दिन की समयावधि मे पारित करें।<br><br>राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के इस निर्णय के अनुसरण मे पत्रावली रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर नियमित विविध प्रकरण के रूप मे इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को पैरवी हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अपील न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता प्रार्थी हरियाराम को जारी नोटिस तामील होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। आवंटी मैसर्स सन्तोषी स्टोन क्रेशर कम्पनी दरूड़ा की ओर से अधिवक्ता श्री अमृतलाल जैन द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा लम्बी समयावधि तक उन्हे प्रकरण मे बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय का निश्चय किया गया। | |

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर राजस्थान सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय के अनुसरण मे वादग्रस्त भूमि की अवस्थति के सम्बन्ध मे तहसीलदार बाड़मेर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बाड़मेर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 5486 दिनांक 18.10.2012 के द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम दरूड़ा के खसरा नम्बर 299 मे 05–00 बीघा किस्म गै0मु0 पहाड़ की भूमि श्रीमान के आदेश क्रमांकः प.12(3)(188)राज/07/4136 दिनांक 26.07.2007 के द्वारा मां सन्तोषी स्टोन क्रेशिंग कम्पनी दरूड़ा को आवंटन की गई है, उक्त भूमि बाड़मेर के नवीन मास्टर प्लान मे नही है। उक्त ईकाई के आवंटन से पूर्व आवेदित खसरा को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित नही कर सीधा आवंटन किया गया था। उक्त खसरे की भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित कर आवंटन आदेश को यथावत रखने मे कोई आपत्ति नही है।

हमने तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे यह पाया जाता है कि मैसर्स सन्तोषी स्टोन क्रेशर कम्पनी दरूड़ा को मौजा दरूड़ा को मौजा दरूडा के खसरा नम्बर 299 मे से 05–00 बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित किये बिना ही सीधे ही आवंटन कर दी गई है तथा प्रार्थी द्वारा मौके पर क्रेशर स्थापित कर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके विरूद्ध प्रार्थी हरियाराम द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर इस आवंटन को विधि विरूद्ध होने से खारिज करने का निवेदन किया। आवंटी की ओर से उक्त भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित करवाने हेतु अपील प्राधिकारी के आदेश के अनुसरण मे निर्धारित समयावधि 60 दिवस के भीतर नये सिरे से कोई आवेदन एवं प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया और न ही प्रकरण मे लम्बी समयावधि तक निस्तारण हेतु किसी प्रकार का सहयोग किया गया है **इससे प्रकट होता है कि वे इस भूमि के पुनः आवंटन के** लिए आशय नही रखते है।

अतः प्रकरण मे प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर यह प्रकरण इसी प्रक्रम मे समाप्त किया जाता है तथा आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा को इस निर्देश के साथ भिजवाई जाती है कि वे राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश के अनुसरण मे आवंटन निरस्तीकरण के फलस्वरूप राज्य सरकार के पक्ष मे भूमि का राजस्व अभिलेख मे अमलदरामद सुनिश्चित करते हुए कब्जा बहक सरकार सुनिश्चित करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हों।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर